प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः**–ए.सी.बी. चौकी कोटा **थाना....** प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
   प्र0सू0रि0संख्या 375/22 **दिनांक** 22/9/2022
2. **(1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018** .....धारायें – 7
   (2) अधिनियम– भारतीय दण्ड संहिता ..... धारायें –
   (3) अधिनियम.....**धारायें** –.....
   (4) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. **(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या**.....419.....**समय**.....3:20 pm
   (ब) अपराध घटने का दिन ... बुधवार ..दिनांक.....**21.09.2022...समय 02.25 पी.एम.**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की .....**दिनांक**.....**01.09.2022...समय 12.30 पी.एम.**
4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – टाईपशुदा** रिपोर्ट
5. **घटना स्थलः–**
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब उत्तर व 240 किलोमीटर
   (ब) 'पताः– कार्यालय विधुत निरीक्षणालय, नन्दपुरी जयपुर
   जरायम देही संख्या.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना – चौकी मोरूकलां थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण।
6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :–**
   (अ) नामः– श्री सन्दीप पाण्डे
   (ब) पिता का नाम – श्री गंगा प्रसाद पाण्डे
   (स) जन्म तिथी/वर्ष..... उम्र 50 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या.....**जारी होने की तिथी**.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय– ठेकेदारी
   (ल) पता– 95, रेल्वे हाउसिंग सोसायटी मालारोड, कोटा जक्शन कोटा।
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**
   (1) श्री तरूण राजेश गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवासी– खातेडी मोहल्ला, दिल्ली रोड शाहपुरा, जयपुर हाल– सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, नन्दपुरी, थाना सोडाला जयपुर
8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–**..... शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**.....20000/– रूपये.....
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**.....
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–**

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.09.2022 मन् पुलिस पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक, प्रभारी अधिकारी एसीबी कोटा द्वारा उनके कक्ष मे बुलाकर उनके पास उपस्थित परिवादी श्री संदीप पाण्डे पुत्र श्री गंगाप्रसाद पाण्डे जाति ब्राहमण उम्र 50 साल निवासी– 95, रेल्वे हाऊसिंग सोसायटी, माला रोड, कोटा जंक्शन, कोटा से मेरा आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा उन्हे पेश टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस पर प्रभारी अधिकारी श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री संदीप पाण्डे को स्वयं के कक्ष मे लेकर आया तथा परिवादी श्री संदीप पाण्डे के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा टाईप करवाना बताया जो इस आशय का है कि " प्रार्थी संदीप पाण्डे की फर्म संदीप ट्रेडर्स हैं। उक्त फर्म के जरिये मैं बिजली विभाग में ठेके लेकर बिजली से संबन्धित कार्य करता हूं। करीबन 20 साल से मैं इस फर्म के जरिये बिजली विभाग में ठेकेदारी का कार्य करता हूं। मेरी फर्म का 3 जुलाई 2021 को अवधी पूर्ण होने से ठेकेदारी फर्म के नवीनिकरण के लिए मैने जयपुर स्थित बिजली विभाग में अवधी बढाने के लिए जुलाई 2021 में आवेदन किया था, कई दिनों तक आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इसके बाद, मैं 29 अगस्त 2022 को बिजली विभाग जयपुर कार्यालय में गया तो मुझे वंहा ठेकेदारी फर्म के लाईसेस के नवीनीकरण बाबत श्री तरूण गुर्जर जी से मिलने के लिए कहा गया, जब मैं तरूण गुर्जर से जाकर मिला तो उन्होने कहा कि तुम्हारा आवेदन मेरे पास कई दिनों से पडा है तुम आये ही नहीं तथा फिर कहा कि फर्म के लाईसेस की अवधी बढाने के लिए

इसकी फीस 48,000 रूपये जमा कराओ, तब मैने उनको कहा कि साहब लाईसेस के नवीनीकरण के तो 45,00 रूपये ही लगते हैं, आप इतनी रकम क्यों मांग रहे हो, तब तरूण गुर्जर ने कहा कि तुमको दूसरे ठेकेदारों ने नहीं बताया क्या ? यंहा पर इतने ही पैसे लगते हैं, इस कार्यालय में ओर भी अधिकारी हैं तथा इस कार्य के लिए उनके हस्ताक्षर करवाने पडते हैं तो उनको भी पैसा देना पडता हैं, फिर मैने कहा कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं तो उसने कहा चलो तुम 40,000 रूपये दे देना तथा कहा कि 10,000 रूपये तो अभी देने ही पडेंगे नही तो तुम्हारा काम नहीं होगा। इस पर दबाव में आकर मैने उसको 10,000 रूपये दे दिये, किन्तु आज तक भी मेरे लाईसेस की अवधी नहीं बढाई तो मैने तरूण गुर्जर को फोन किया तो उसने कहा कि पहले वो बचे हुये 30,000 रूपये मेरे पास पहुंचाओ इसके बाद तुम्हारा काम होगा। मैं मेरे जायज काम के बदले में तरूण गुर्जर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा उसको रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उससे कोई पुरानी रंजीश नहीं हैं तथा ना ही मैं उसे इस कार्य के पूर्व से जानता हूं। कार्यवाही को आया हूँ, कृपया कार्यवाही करने की कृपा करें' परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। मामला जयपुर शहर का है, परिवादी से पूछा तो उसने बताया कि श्री तरूण गुर्जर मुझे कार्यालय में ही मिलेगा तथा अभी इस सप्ताह सरकारी कार्यालयों में तीन दिन का अवकाश होने के कारण में उससे मिलने दिनांक 06.09.2022 मंगलवार को चला जाऊंगा। इस पर कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया गया तथा परिवादी श्री संदीप पाण्डे को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई। तत्पश्चात कार्यालय में उपस्थित श्री नरेन्द्र सिंह, कानि. 305 को अपने कक्ष में बुलाया तथा परिवादी से आपसी परिचय करवाकर हालात से अवगत कराया तथा गोपनीय सत्यापन की निगरानी हेतु दिनांक 06.09.2022 को कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के प्राप्त कर परिवादी को सुपुर्द कर उसके साथ कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय नन्दपुरी जयपुर में जाने के निर्देश दिये। दिनांक 06. 09.2022 को 6.45 ए.एम. पर श्री नरेन्द्र सिह को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मालखाने से निकलवाकर दिया तथा फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक से बनाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई तथा श्री नरेन्द्र सिह को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी को रेल्वे स्टेशन कोटा से साथ लेकर जयपुर हेतु रवाना किया। दिनांक 06.09.2022 समय 9.45 पी.एम. पर नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 305 ने मन पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि आज प्रातः 7.15 ए.एम. पर मैं कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर परिवादी से रेल्वे स्टेशन कोटा जाकर मिला तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर उसको सुपुर्द किया, हम दोनों कोटा से जरिये ट्रेन रवाना होकर जयपुर पहुंचे। करीबन 12.15 पी.एम. पर कार्यालय विद्युत निरीक्षक, नन्दपुरी जयपुर के पास पहुंचकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी के कार्यालय में अन्दर गया तथा कुछ समय पश्चात कार्यालय से वापस आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द कर मुझे बताया कि तरूण गुर्जर कार्यालय में नहीं हैं, मैने कार्यालय में पूछा तो वंहा उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने बताया कि आज उसकी माताजी की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण वह सुबह कार्यालय में आया तथा कुछ समय पश्चात वापस चला गया। इसके बाद परिवादी ने तरूण गुर्जर को कॉल करने के लिए अपने मोबाईल को निकाला तो मोबाईल पर तरूण गुर्जर का मिसकॉल आया हुआ था, परिवादी ने बताया कि रास्ते में अत्यधिक शोर होने के कारण मुझे उसके कॉल आने का पता नहीं चला, मैं अभी उससे फोन करके पूछ लेता हूं, परिवादी ने अपने मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन करके तरूण गुर्जर के मोबाईल पर कॉल किया तो उसका मोबाईल बिजी आ रहा था परिवादी द्वारा थोडी देर बाद पुनः कॉल किया तो उसने कॉल रिसिव कर लिया इस पर परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु किया तथा तरूण गुर्जर से बात की तो उसने बताया कि मेरी माताजी की तबियत खराब होने के कारण में कार्यालय में नहीं हूं, परिवादी ने बताया कि मैं आपके कार्यालय में आया था आपसे मिलने के लिए कल भी आपने फोन किया था लेकिन उस समय मेरी पत्नि ने आपका कॉल रिसिव किया तथा कुछ समय बाद मैने आपको कॉल लगाया लेकिन आपने मेरा कॉल रिसिव नहीं किया तो उसने कहा कि हां मैं कॉल रिसिव नहीं कर पाया था आप आपके काम से फ्री हो जाओ उसके बाद यंहा महात्मा गांधी अस्पताल में ही आ जाना यंही बात करेंगे। इसके बाद हम दोनों नन्दपुरी से रवाना होकर बाजार में समय व्यतीत करते हुए करीबन 4.00 पी.एम. पर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे जंहा पर परिवादी ने महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर से फोन करके बताया कि, मैं अस्पताल के बाहर आ गया हूं इसके कुछ समय पश्चात दो व्यक्ति परिवादी के पास आये मैं कुछ दूर ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुये खडा हुआ था। दोनों व्यक्ति परिवादी से कुछ देर बातें करके वापस चले गये, उनके जाने के बाद परिवादी ने मुझे कॉल लगाया तो

मैने कहा की तुम्हारे पास ही आ रहा हूं, इसके बाद परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द करके मुझे बताया कि तरूण गुर्ज़र से मेरी बात हो गई हैं उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी आया था, तरूण जी ने मुझ से मेरे लाईसेस को रिन्यूअल करने के तीस हजार रूपये देने के लिए कहा तथा मेरे द्वारा निवेदन करने पर कुछ कम करके देने के लिए कहा, जिस पर मैने पच्चीस हजार के लिए कहा तो अन्त में 27,000 रूपये लेने पर सहमति बनी तथा उन्होने कहा कि मै आपके लाईसेस की रसीद तो आपको वाट्सएप कर दूंगा तथा आपका लाईसेंस मंगलवार तक करवाकर आपको फोन कर दूंगा, लाईसेस को तो आप ऑनलाईन ही निकलवा लेना तथा कुछ समय बाद वो दोनों वापस चले गये। इसके बाद हम दोनों वंहा से रवाना होकर दुर्गापुरा से ट्रेन में बैठकर कोटा भ्र.नि.ब्यूरो कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर रिकॉर्ड वार्ताओं को सुना गया तो परिवादी द्वारा कानि. नरेन्द्र सिंह को कहे गये कथनों की पुष्टि हुई। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखवाया गया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। ट्रैप कार्यवाही परिवादी के पास आरोपी का कॉल आने के बाद होनी है अतः परिवादी को दिनांक 08.09.2022 को कार्यालय हाजा आने की आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 08.09.2022 समय 02:30 पी.एम. पर परिवादी श्री संदीप पाण्डे कार्यालाय हाजा उपस्थित आया तथा बताया की अभी आरोपी का कॉल नहीं आया है, इस समय परिवादी कार्यालय हाजा में उपस्थित हैं तथा ट्रेप कार्यवाही आरोपी का परिवादी के पास कॉल आने पर किया जाना हैं इसलिए दिनांक 06.09.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता तैयार किये जाने हेतु व अग्रिम कार्यवाही के कम में कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षैत्रीय कार्यालय, कोटा के नाम एक तहरीर जारी कर श्री बृजराज सिह कानि. 159 को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द कर लाने हेतु रवाना किया गया। इस पर श्री बृजराज सिह कानि. 159 कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षैत्रीय कार्यालय, कोटा के श्री रामदयाल पुत्र श्री प्रभुलाल जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी– ग्राम कानिहेडा तहसील केशोराय पाटन जिला बून्दी हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षैत्रीय कार्यालय, कोटा, व श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री धन सिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी– बी–12, बालाजी टाउन खेडली फाटक कोटा हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षैत्रीय कार्यालय, कोटा उपस्थित आये जिनसे कार्यालय में मौजूद उक्त स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात् दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी, दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड मोबाईल पर हुई वार्ता जिसे मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी व आरोपी तरूण गुर्जर व अन्य के मध्य महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर के सामने मेनरोड पर चाय की दुकान पर दिनांक 06.09.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड मोबाईल वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री तरूण गुर्जर की तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड अन्य वार्ता में से एक आवाज स्वयं की एक आवाज तरूण गुर्जर एंव अन्य व्यक्ति की होना पहचान की। फर्द ट्रांसकिप्ट मोबाईल वार्ता एवं फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवदी ने बताया कि आरोपी के कॉल आने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जायेगा अतः परिवादी को आरोपी का कॉल आने पर तुरंत मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करने तथा रिश्वत में दिये जाने वाली रकम 27,000 रूपये सहित कार्यालय हाजा में उपस्थित आने तथा दोनों गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर अपने– अपने स्थान के लिए रवाना किया गया। दिनांक 20.09.2022 को परिवादी श्री संदीप पाण्डे कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा उसने बताया कि मेरी श्री तरूण गुर्जर से बात हो गई हैं तथा उसने कहा हैं कि तुम्हारी फर्म के लाईसेस को रिन्युअल करवाने के दिन पांच दिन की बजाय ज्यादा दिन हो गये थे तुमने लाइसेस को रिन्यूअल करवाने के लिए पांच दिन लेट बताया था, किन्तु आज मैने देखा तो ये तो ज्यादा दिन बाद अप्लाई किया हैं, जब मैने कहा कि नहीं मैने पांच दिन बाद ही एप्लाई कर दिया था, तो उसने कहा कि नहीं ज्यादा दिन हो गये हैं, मैं तुम्हे वाट्सएप पर भेज दूंगा तथा अब तुम्हारा पांच हजार की जगह पर नो हजार रूपये का चालान कटेगा, अतः तुम 27,000 रू. की जगह पर 31,000 रूपये लेकर आ जाओ मैं तुम्हारा काम जल्दी करवा दूंगा। इस पर मैने उसको कहा हैं कि ठीक हैं मैं एक दो दिन में पैसे लेकर आता हूं। परिवादी के कहेनुसार तरूण गुर्जर ने

परिवादी को रिश्वत की राशि लेकर आने तथा बाद में परिवादी के लाईसेस को रिन्यूअल करवाने के लिए कहा हैं, अतः कल दिंनाक 21.09.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना प्रस्तावित कर परिवादी को तरूण गुर्जर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि सहित दिनांक 21.09.2022 को कार्यालय हाजा में प्रातः 7.00 ए.एम. पर उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया तथा स्वतंत्र गवाहान को जरिये मोबाईल तथा एसीबी जाब्ते को प्रातः 7.00 ए. एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने के लिए पाबन्द किया। दिनांक 21.09.2022 को पाबन्दशुदा एसीबी जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र सिह एवं श्री रामदयाल मीणा एवं परिवादी श्री संदीप पाण्डे मय रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रूपये सहित कार्यालय हाजा उपस्थित आये, तथा परिवादी ने बताया कि तरूण गुर्जर ने 27000 रूपये मांगे थे, लेकिन मेरे पास अभी केवल 20000/रूपये की ही व्यवस्था हुई है, मै 20000/रूपये दूंगा तो तरूण गुर्जर मेरे से ले लेगा। इसके बाद दोनों सरकारी स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संदीप पाण्डे ने आरोपी श्री तरूण गुर्जर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के चालीस नोट कुल 20,000/– (बीस हजार रूपये) अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर फर्द मे अंकित किये गये। श्रीमती सरोज महिला कानि. 104 द्वारा कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई तथा उक्त सभी नोटों को एक अखबार पर रखवाकर सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। श्री रामदयाल स्वतंत्र गवाह से परिवादी श्री संदीप पाण्डे की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। श्रीमती सरोज म.कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई रिश्वत राशि 20,000 रू. के नोटों को पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया। तत्पश्चात् एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जिसका घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती सरोज म.कानि. के फिनोप्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की रासायनिक प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी श्री संदीप पाण्डे को हिदायत दी की पावडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ नहीं लगावे। आरोपी के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटों को अपने पास से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फिराकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करके आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने का इशारा करें। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक मय प्राईवेट वाहन मय ड्राईवर के मय परिवादी, मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 304, श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक के ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों सहित जयपुर कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, नन्दपुरी जयपुर के लिए रवाना हुये एवं श्री मुकेश कानि. को जरिये मोबाईल सुचित किया कि 1.30 पी.एम. पर कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय नन्दपुरी जयपुर के पास उपस्थित मिले। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक मय प्राईवेट वाहन मय ड्राईवर के मय परिवादी, मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 304, श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक के ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों सहित जयपुर कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, नन्दपुरी जयपुर पहुंचे जंहा पूर्व से पाबन्दशुदा श्री मुकेश कानि. 71 कार्यालय के बाहर उपस्थित मिला। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी संदीप पाण्डे से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर आरोपी से रिश्वत लेनदेन एवं वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु रवाना किया। मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं जाब्ते के अपनी व वाहन की उपस्थिती छुपाते हुये कार्यालय के आस पास परिवादी के इशारे के इन्तजार मुकिम हुये। 02.25 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संदीप पाण्डे ने कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय के बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फिराकर रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री रामदयाल एवं श्री महेन्द्र सिंह एव ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, मुकेश सैनी कानि. 71, श्री देवेन्द्र सिह कानि.304, श्री दिलीप सिह, वरिष्ठ सहायक, को साथ लेकर पैदल चलकर परिवादी के पास पहुंचे। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया की श्री तरूण गुर्जर ने मुझसे मेरी फर्म का लाईसेस रिन्युअल करवाने के लिए 20,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त कर उनके कक्ष की टेबल के नीचे फाईलों के बस्ते में रख ली हैं, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराह जाब्ता एवं गवाहान के परिवादी के साथ कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय के प्रथम तल पर सीढियों के सामने की तरफ बने कक्ष में एक नीले रंग की शर्ट पहने हुये व्यक्ति के पास पहुंचे, परिवादी ने नीले रंग की शर्ट पहने हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही तरूण गुर्जर जी हैं जिन्होने अभी थोडी देर पहले मुझ से मेरी फर्म के लाईसेस के रिन्युअल के संबन्ध में वार्ता करके

मुझ से हमारी पूर्व में हुई वार्ता के क्रम में 20,000 रूपये प्राप्त करके इस टेबल के नीचे के इन फाईलों के बस्ते में 20,000 रूपये अपने हाथ से ग्रहण कर रख लिये थे, इसके बाद मैने नीचे जाकर आपको ईशारा किया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व टीम का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया एंव नीले रंग की शर्ट पहने हुये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री तरूण राजेश गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवासी– खातेडी मोहल्ला, दिल्ली रोड शाहपुरा, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, नन्दपुरी, थाना सोडाला जयपुर बताया। श्री तरूण राजेश गुर्जर से परिवादी से लिये गए 20,000 रूपयों बाबत पूछा तो उसने बताया कि ये अभी मेरे पास आये थे, लेकिन मैने इनसे कोई रूपये नहीं लिये, इस पर परिवादी ने आरोपी तरूण गुर्जर की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये झूंठ बोल रहे हैं मेरी फर्म के लाईसेस की कार्य अवधि पूर्ण होने पर लाईसेस के नवीनीकरण के लिए मैने जुलाई 2021 मे आवेदन किया था जब बहुत दिनों तक नवीनीकरण नहीं हुआ तो मैं इस कार्यालय में आकर श्री तरूण गुर्जर से मिला तो तरूण गुर्जर ने लाईसेस की अवधि बढाने के लिए कुल खर्चा 48,000 रूपये बताये, जबकी लाईसेंन्स नवीनीकरण के लिए तो 4500 रूपये का चालान राशि लगती थी, इन्होने मुझ सें पूर्व मे 10,000/रूपये प्राप्त किए तथा दिनांक 06.09.2022 को गोपनीय सत्यापन के समय मेरे द्वारा निवेदन कर कंसेशन करने की कहा तो इन्होने मुझसे तीस हजार रूपये की मांग की, मेरे द्वारा पच्चीस हजार देने के लिए कहा तो अन्त में 27,000 रूपये लेने पर सहमत हुये थे, जिसके अनुसरण में आज इन्होने मुझसे 20,000 रूपये प्राप्त किये तथा लाईसेस के चालान के और पांच हजार बढाकर 12,000 रूपये ओर देने के लिए कहा, आरोपी से पुनः पूछने पर आरोपी ने कहा कि मैने इनसे कोई वार्ता नहीं की तथा कोई रूपये नहीं लिये। तत्पश्चात आरोपी श्री तरूण राजेश गुर्जर ने परिवादी के कहेनुसार रिश्वती राशि 20,000 रूपये अपने हाथ से प्राप्त कर कक्ष की टेबल के नीचे फाईलों के बस्ते में रखे हैं, अतः आरोपी श्री तरूण राजेश गुर्जर की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. से कार्यालय कक्ष में रखे हुये पानी के केम्पर से साफ पानी मंगवाया जाकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी तरूण राजेश गुर्जर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गन्दमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाए। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के बताए अनुसार स्वतंत्र गवाह महेन्द्र सिंह से टेबल के नीचे की तरफ रखे हुये फाईलों के बस्ते को चैक करवाया तो लाल रंग के कपड़े के बस्ते में फाईलों की एक तरफ पांच–पांच सौ रूपये के नोट मिले, जिनको महेन्द्र सिह द्वारा गिना गया तो वो पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये थे। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाहान से फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ । उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी के लाल रंग के कपड़े के बस्ते का धोवन लेने हेतु एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया, स्वंतत्र गवाह से फाईलों को दूसरे बस्ते में रखवाकर, बस्ते के नोट मिलने के स्थान को गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क K-1, K-2 तथा बस्ते को सुखाकर एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क K अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तरूण राजेश गुर्जर से धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने तथा बस्ते से राशि बरामद होने बाबत् पूछा तो श्री तरूण राजेश गुर्जर ने स्वयं द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं करना बताया तथा बस्ते से मिली राशि के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की । तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेनदेन डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को लेपटोप पर लगाकर स्पीकर ऑन कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। तत्पश्चात आरोपी तरूण राजेश गुर्जर से परिवादी के कार्य के बाबत पूछा तो तरूण राजेश गुर्जर ने अपनी टेबल पर रखी हुई एक फाईल पेश की जिसमें पत्रावली का प्रथम पृष्ठ कार्यालय टिप्पणी का लगा हुआ हैं, जिसमें मैसर्स संदीप ट्रेडर्स, कोटा विद्युत ठेकेदारी लाईसेस संख्या 2425A अंकित हैं, जिस पर दिनांक 13.08.2021 को जेईएन ओर एसई के हस्ताक्षर है, जिसके अन्दर के पृष्ठ संदीप ट्रेडर्स के लाईसेस नवीनीकरण से संबन्धित अन्य दस्तावेज लगे हुये है, जिसके कुल पृष्ठ संख्या 21 तक है, परिवादी का कार्य लम्बित होने से मूल

पत्रावली की छायाप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जावेगी। पत्रावली पेंडीग होने के संबंध में तरूण राजेश गुर्जर से पूछा तो बताया कि विलम्ब शुल्क 5,000 रूपये जमा नहीं कराने के कारण इनका कार्य अभी तक पेंडिग था। आरोपी श्री तरूण राजेश गुर्जर की तलाशी नियमानुसार स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्र सिंह से लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेंट की जेब में एक मोबाईल वीवो कम्पनी का मॉडल Vivo 1814, IMEI No. 867102047223611, Sim No-7297886296 Airtel तथा 80 रूपये मिले, 80 रूपये को स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाये तथा मोबाईल को मय सीम बतौर वजह सबूत जब्त कर चिट चस्पा कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे एसीबी लिया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री संदीप पाण्डे पुत्र श्री गंगा प्रसाद पाण्डे जाति ब्राहमण उम्र 50 साल निवासी– 95, रेल्वे हाऊसिंग सोसायटी, माला रोड, कोटा जंक्शन, कोटा की फर्म के लाईसेस की कार्य अवधि पूर्ण होने पर ,लाईसेस को नवीनीकरण करने हेतु कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय जयपुर मे जुलाई 2021 मे आवेदन किया गया, आवेदन के पश्चात लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं होने पर परिवादी के बार–बार विद्युत निरीक्षणालय कार्यालय जयपुर मे जाकर लाईसेस नवीनीकरण कार्य संपादन करने वाले श्री तरूण राजेश गुर्जर से मिलने पर नवीनीकरण के लिए कुल 48,000 रूपये राशि बताये तथा परिवादी से 10,000/रूपये प्राप्त किए। परिवादी द्वारा शिकायत करने पर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने पर रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई, आरोपी ने कुल 45,000/रूपये की पूर्व मे बताते हुए 30,000/रूपये मांगे, परिवादी के कम करने की कहने पर 27,000/रूपये की मांग की। रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन होने के बाद दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी ने कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय जयपुर मे अपने कक्ष मे परिवादी से 20,000/रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने टेबल के नीचे रखी फाईल के बस्ते मे रखी, आरोपी तरूण राजेश गुर्जर के दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं बाएं हाथ के धोवन का रंग गन्दमैला आने तथा रिश्वती राशि आरोपी के कक्ष की टेबल के नीचे रखे हुये बस्ते से बरामद होने तथा बस्ते के धोवन का रंग गुलाबी आने से आरोपी श्री तरूण राजेश गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवासी– खातेडी मोहल्ला, दिल्ली रोड शाहपुरा, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय,नन्दपुरी, थाना सोडाला जयपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा आरोपी श्री तरूण राजेश गुर्जर को पृथक से जर्ये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा। परिवादी के कार्य की पत्रावली की प्रमाणित प्रति कार्यालय अधीक्षक द्वारा पेश की जिसको शामिल पत्रावली किया गया। स्वतत्रं गवाहान, परिवादी संदीप पाण्डे एंव आरोपी तरूण राजेश गुर्जर के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, को सुना जाकर दोनों गवाहान के समक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी तरूण राजेश गुर्जर व परिवादी श्री संदीप पाण्डे के मध्य दिनांक 06.09.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तायें तथा दिनांक 21.09.2022 को रिश्वत राशि लेन देन के समय हुई वार्ता का एफ. एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु आरोपी तरूण राजेश गुर्जर को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं मेरी आवाज का परीक्षण कराने हेतु नमूना आवाज स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं"। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी की निशांदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संदीप पाण्डे व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे परिवादी श्री संदीप पाण्डे व आरोपी श्री तरूण राजेश गुर्जर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर के मध्य दिनांक 06.09.2022 व 21.09.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को सरकारी वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्ताओं को चार पेन ड्राईव श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 के द्वारा तैयार करवाये गये, डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड से वार्ताओं को लेपटोप के जरिये कॉपी कर SanDisk 16 GB कम्पनी के 4 पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया। जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगे हुऐ मेमोरी कार्ड SanDisk Ultra micro SDHC UHS-I Card 32 GB को निकालकर कवर मे रखकर कपडे की थैली मे सील्ड मोहर किया गया, फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री तरूण राजेश गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवासी– खातेडी मोहल्ला, दिल्ली रोड शाहपुरा, जयपुर हाल– सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, नन्दपुरी, थाना

सोडाला जयपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से एसीबी मुख्यालय झालाना संस्थानिक क्षैत्र जयपुर मे जमा हवालात करवाया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री संदीप पाण्डे पुत्र श्री गंगा प्रसाद पाण्डे जाति ब्राहमण उम्र 50 साल निवासी– 95, रेल्वे हाऊसिंग सोसायटी, माला रोड, कोटा जंक्शन, कोटा की फर्म के लाईसेस की कार्य अवधि पूर्ण होने पर लाईसेस को नवीनीकरण करने हेतु कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय जयपुर मे जुलाई 2021 मे आवेदन किया गया, आवेदन के पश्चात लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं होने पर परिवादी के बार–बार विद्युत निरीक्षणालय कार्यालय जयपुर मे जाकर लाईसेस नवीनीकरण कार्य संपादन करने वाले श्री तरूण राजेश गुर्जर से मिलने पर नवीनीकरण के लिए कुल 48,000 रूपये राशि बताये तथा परिवादी से 10,000/रूपये प्राप्त किए। परिवादी द्वारा शिकायत करने पर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने पर रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई, आरोपी ने कुल 45,000/रूपये की पूर्व मे बताते हुए 30,000/रूपये मांगे, परिवादी के कम करने की कहने पर 27,000/रूपये की मांग की। रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन होने के बाद दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी ने कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय जयपुर मे अपने कक्ष मे परिवादी से 20,000/रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने टेबल के नीचे रखी फाईल के बस्ते मे रखी, आरोपी तरूण राजेश गुर्जर के दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं बाएं हाथ के धोवन का रंग गन्दमैला आने तथा रिश्वती राशि आरोपी के कक्ष की टेबल के नीचे रखे हुये बस्ते से बरामद होने तथा बस्ते के धोवन का रंग गुलाबी आने से आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी श्री तरूण राजेश गुर्जर को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपी श्री तरूण राजेश गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवासी– खातेडी मोहल्ला, दिल्ली रोड शाहपुरा, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, नन्दपुरी, थाना सोडाला जयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते कमांकन प्रेषित है।

(नरेश चौहान)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा ।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री तरूण राजेश गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल गुर्जर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, नन्दपुरी, थाना सोडाला, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 375/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 3256-60 दिनांक 22.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
3. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, नन्दपुरी सोडाला, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

22.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर